फर्द अहकाम

न्यायालय

हनुमानसहाय बनाम रामलाल

मुकदमा संख्या / वर्ष :95/2021 /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/5/24 को पेश हो।	नोटिस जारी 1299-1300 22/3/24
	24/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वादी ने रजिस्टर्ड डाक रजिस्ट्री व ट्रैक रिपोर्ट पेश की। शा.कि.हो। प्रति.सं. 1 व 2 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के अनुपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली दि0 23/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	
	23/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० वकील वादी को ~~[illegible]~~ अभिभाषक सुना गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ण न० से ~~[illegible]~~ दाखिल दफ्तर हो। आज तत्काल घोषित उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 95 / 2021
निर्णय दिनांक : 23.05.2024

1. हनुमान सहाय चौधरी पुत्र स्व० घासीराम जाट जाति जाट निवासी भैरू जाट की ढाणी, मदरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र स्व० भैरू जानि जाट
2. शिमला देवी पत्नी स्व० बाबूलाल जाट जाति जाट समस्त निवासीगण भैरू जाट की ढाणी, मदरामपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से वाद का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मदरामपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 0.03 हैक्टयर गैरमुमकिन चाह स्थित है जो राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम बतौर सह खातेदार दर्ज है. जिसे वाद पत्र मे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है । प्रतिवादीगण जोर जबरन से वादग्रस्त भूमि पर गौबर, छडीया इत्यादि डालकर, तारबन्दी करके नाजायज कब्जा करके अवैध निर्माण कार्य करने पर उतारू है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्णिय क्षति कारित होगी और वादी वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से वचित हो जायेगा। प्रतिवादीगण ने दिनाक 09.07.2021 को वादग्रस्त भूमि पर जोर जबरन से गौबर, छडीया इत्यादि डालकर, तारबन्दी करके नाजायज कब्जा करके अवैध निर्माण कार्य करने की धमकी दी जिसके कारण वादकारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर गौबर, छडीया नही डाले, अवैध निर्माण कार्य नही करे, आवागमन मे

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बाधा उत्पन्न नही करे, अकृषि कार्य नही करे तथा वादी को वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से वचित नही करे। वादग्रस्त कृषि भूमि मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे :-

क. प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाये जावे कि वे वाद पत्र के पैरा नं० एक मे वर्णित वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण गौवर, छडीया नही डाले, अवैध निर्माण कार्य नही करे, आवागमन मे वाधा उत्पन्न नही करे, अकृषि कार्य नही करे तथा वादी को वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से वचित नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वावजूद रजिस्टर नोटिस उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में वहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। दौराने वहस वादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाये जावे कि वे वाद पत्र के पैरा नं० एक मे वर्णित वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण गौवर, छडीया नही डाले, अवैध निर्माण कार्य नही करे, आवागमन मे वाधा उत्पन्न नही करे, अकृषि कार्य नही करे तथा वादी को वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से वचित नही करे।

वहस वादी अधिवक्ता एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाकर वादी की ओर से पेश वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 स्वीकार किया जाता है। वादी की निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान हेतु सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र तहसीदार सांगानेर को पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो वादी की ओर से पेश सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वाके ग्राम मदरामपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 0.03 हैक्टयर स्थित भूमि का सीमाज्ञान करे, दौराने सीमाज्ञान कानून व्यवस्था का ध्यान रखा जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादी की उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान होने के पश्चात् वादी की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर जिला (सांगानेर)

की सीमाओं पर दखल नही दें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर